रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-13102020-222414
SG-DL-E-13102020-222414

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 217]	दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 13, 2020/आश्विन 21, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 164
No. 217]	DELHI, TUESDAY, OCTOBER 13, 2020/ASVINA 21, 1942	[N. C. T. D. No. 164

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2020

सं. फा. डीसी/ऑप्स/टीपीटी/2014/58905.—जबकि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 का पुनः संशोधन करने के लिए नियमों का प्रारूप दिनांक 07.10.2020 की अधिसूचना सं. फा. डीसी/ओप्स/टीपीटी/2014/56864 के अनुसार दिल्ली राजपत्र भाग–IV असाधारण में, जिस तिथि को उक्त अधिसूचना वाला दिल्ली के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी, उस तिथि से तीन दिन की अवधि बीतने से पहले इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था,

और जबकि, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 07 अक्तूबर, 2020 को उपलब्ध कराई गईं थी;

और जबकि, उक्त प्रारूप नियमावली के संबंध में जनता से कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुए हैं।

और जबकि, उक्त प्रारूप नियमों के सम्बन्ध में जनता से चार (04) सुझाव प्राप्त हुए थे, जिन पर विधिवत विचार कर लिया गया है।

अब इसलिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 65 के साथ पठित दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 के नियम 2 (q) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 का पुनः संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :–

नियमावली

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ	इन नियमों को दिल्ली मोटर वाहन (संशोधन) नियमावली (प्रथम संशोधन) नियम, 2020। ये दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन की अंतिम तिथि से प्रभावी होगा।
नियम 34 ए में संलग्न परिशिष्ट 1 में भाग (क) का प्रतिस्थापन	नियम 34 ए में संलग्न परिशिष्ट 1 के भाग (क) को नीचे दिए गए अनुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :– (क) निजी वाहनों के लिए; (केवल स्वयंम् के नाम पर अथवां पति/ पत्नी के नाम पर) i) लोक सभा के अध्यक्ष। ii) केन्द्रीय मंत्री। iii) राज्य सभा के प्रतिपक्ष के नेता। iv) लोक सभा के प्रतिपक्ष के नेता। v) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। vi) अध्यक्ष, लोक संघ सेवा आयोग। vii) मुख्य चुनाव आयुक्त। viii) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ix) राज्य सभा के उपाध्यक्ष। x) लोक सभा के उपाध्यक्ष। xi) उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। xii) दिल्ली के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। xiii) दिल्ली सरकार के मंत्री। xiv) अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा। xv) उपाध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा। xvi) संसद सदस्य। xvii) दिल्ली विधान सभा के प्रतिपक्ष के नेता। xviii) दिल्ली विधान सभा के सदस्य। xix) भारत सरकार के सचिव/ समकक्ष अधिकारी तथा उससे उपर के अधिकारी। xx) दिल्ली के मेयर। xxi) मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार। xxii) प्रधान सचिव/ सचिव, दिल्ली सरकार। xxiii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश। xxiv) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा दानिक्स संवर्ग के अधिकारी (कनिष्ठ प्रशासनिक स्तर के कम नहीं)

यह अधिसूचना परिवहन मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अनुमोदन से जारी की गई है।

ज्योति सेठ, उपायुक्त (ऑपरेशन I) परिवहन

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 13th October, 2020

No. F. DC/OPS/TPT/2014/58905.—Whereas the draft rules further to amend the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993 were published as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide Notification No. F.DC/OPS/TPT/2014/56864 dated 07-10-2020 in the Delhi Gazette Part IV, Extraordinary inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before expiry of the period of three days from the date on which copies of the Delhi Gazette containing the said notification were made available to public.

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 07th October, 2020.

And whereas, no objection has been received from the public in respect of the said draft rules.

And whereas, four suggestions were received from public in respect of said draft rules, which have been duly considered.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 65, of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), read with rule 2(q) of the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993, the following rules further to amend the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993 are hereby made, namely :

RULE

Short Title and Commencement	1.(1) These rules may be called the Delhi Motor Vehicles (First Amendment) Rules, 2020. (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Delhi Gazette.
Substitution of Part A of Annexure 1 annexed to rule 34 A	The Part A of Annexure 1 annexed to rule 34 A shall be substituted as given below : **A** For personal vehicles; (In self name or in the name of spouse only) i. Speaker of Lok Sabha ii. Ministers of the Union iii. Leader of Opposition in Rajya Sabha iv. Leader of Opposition in Lok Sabha v. Judges of Supreme Court vi. Chairman, UPSC vii. Chief Election Commissioner viii. Comptroller and Auditor General of India ix. Deputy Chairman of Rajya Sabha x. Deputy Speaker of Lok Sabha xi. Lieutenant Governor of NCT of Delhi xii. Judges of High Court of NCT of Delhi xiii. Ministers of the NCT of Delhi xiv. Speaker, Delhi Legislative Assembly xv. Deputy Speaker of Delhi Legislative Assembly xvi. Members of Parliament xvii. Leader of Opposition, Delhi Legislative Assembly xviii. Members of Delhi Legislative Assembly xix. Secretaries to Government of India / equivalent officers and above posted in Delhi xx. Mayors of NCT of Delhi xxi. Chief Secretary, NCT of Delhi xxii. Principal Secretaries / Secretaries to Government of NCT of Delhi xxiii. Principal District and Sessions Judges of NCT of Delhi xxiv. Officers of Government of NCT of Delhi belonging to the cadre of Indian Administrative Services and DANICS (not below the level of Junior Administrative Grade)

This issues with the approval of Minister of Transport, Government of NCT of Delhi.

JYOTI SETH, Dy. Commissioner (Operation-I), Transport

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2020.10.13 20:03:06 +05'30'